भारत सरकार
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
बायोटेक्नोलॉजी विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2784
जिसका उत्तर 11/05/2016 को दिया जाना है

एंटी माइक्रोबियल रेजिसटेंट संबंधी अनुसंधान

2784. **श्री बैजयंत जे० पांडा:**

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने (जैव प्रौद्योगिकी विभाग) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद् (बीआईआरएसी) के माध्यम से एंटी माइक्रोबियल रेजिसटेंट फंड में आरंभिक रूप से एक लाख डॉलर का निवेश किया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसका औचित्य क्या है;
(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है तथा उक्त फंड द्वारा किन परियोजनाओं में सहायता किए जाने की संभावना है;
(घ) क्या सरकार ने एंटी माइक्रोबियल रेजिसटेंट की आवश्यकता का कोई आकलन किया है; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री
(वाई. एस. चौधरी)

(क) और (ख) जी हां। बायोटेक्नोलॉजी विभाग (डीबीटी), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) ने £100,000 की राशि के साथ लॉन्गीट्यूड प्राईज डिसकवरी अवॉर्ड के प्रति एनईएसटीए के साथ साझेदारी की घोषणा की है।

(ग) यह 'ट्रांसफॉरमेटिव प्वांइट ऑफ केयर डायग्नोस्टिक टेस्ट' के विकास के लिए अनेक उद्यमियों और स्टार्ट-अप की सहायता करेगा जो भविष्य की पीढ़ियों के लिए एंटी बायोटिक्स का संरक्षण करेगा और वैश्विक स्वास्थ्य रक्षा की आपूर्ति में क्रांति लाएगा।

(घ) और (ड.) डीबीटी, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) द्वारा किए गए अनुसंधान प्रति-जीवाणु प्रतिरोध (एएमआर) हेतु आवश्यकता का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। एएमआर अनुसंधान की आवश्यकता के संबंध में वैश्विक अध्ययन भी किए गए हैं।

******